रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2016/अग्रहायण 15, 1938
No. 834] NEW DELHI, TUESDAY DECEMBER 6, 2016/AGRAHAYANA 15, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1115(अ).—बोनस संदाय नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए, बोनस संदाय (संशोधन) नियम, 2016 का प्रारूप जिसे केंद्रीय सरकार बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 38 द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 915(अ), तारीख 26 सितंबर, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 27 सितंबर, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में केंद्रीय सरकार को कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बोनस संदाय (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें।

2. बोनस संदाय नियम, 1975, के नियम 5, के उप-नियम (1) में, परंतुक का लोप किया जाएगा।

[सं. जेड.16016/1/2014-डब्ल्यूबी]

डॉ. डी. चौधरी, उप महानिदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खडं 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 2367, तारीख 6 सितंबर, 1975 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 784(अ), तारीख 10 नवंबर, 2014 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2016

G.S.R. 1115(E).—Whereas a draft of the Payment of Bonus (Amendment) Rules, 2016, further to amend the Payment of Bonus Rules, 1975, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 38 of the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965), was published, as required by sub-section (1) of the said section 38, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 915(E), dated the 26th September, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette notification was made available to the public on the 27th September, 2016 .

And whereas no objections or suggestions have been received on the said draft rules by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. (1) These rules may be called the Payment of Bonus (Amendment) Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Bonus Rules, 1975, in rule 5, in sub-rule (1), the proviso shall be omitted.

[No. Z. 16016/1/2014-WB]

Dr. D. CHAUDHURI, Dy. Director General

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 2367, dated the 6th September, 1975 and lastly amended vide G.S.R. 784(E), dated the 10th November, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.07 18:35:25 +05'30'